संख्या-05/2026/I/1251045/2026 /001-71-4002-003-1-2024

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक -25.02.2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृहत निर्माण योजनान्तर्गत उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अन्तर्गत सी0एम0एस0डी0 भवन के प्रथम तल (**Prefabricated Structure**) के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित धनराशि रू0 510.01 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3679/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/ अभि0(1302-सीडी)/2025-26, दिनांक 10.01.2026 एवं पत्र संख्या- 4020/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/ अभि0(1302-सीडी)सिविल/2025-26, दिनांक 04.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-54/2024/I/813639/2024/001-71-4002-003-1-2024, दिनांक 04.12.2024 द्वारा रू0 1020.02 लाख (दस करोड बीस लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुदान संख्या-31 से रू0 403.01 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 107.00 लाख अर्थात कुल रू0 510.01 लाख (रूपये पांच करोड़ दस लाख एक हजार मात्र) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में कुल सचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2026 व 04.02.2026 द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के अंतर्गत सी0एम0एस0डी0 भवन के प्रथम तल (**Prefabricated Structure**) के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 510.01 लाख (पांच करोड़ दस लाख एक हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से 403.01 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से रू0 107.00 लाख) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- शासनादेश संख्या-54/2024/I/813639/2024/001-71-4002-003-1-2024, दिनांक 04.12.2024 में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 सपठित शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026 में विहित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,03,01,000 (रुपये चार करोड़ तीन लाख एक हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 1,07,00,000 (रुपये एक करोड़ सात लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892900 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
(4) निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
(5) कोषाधिकारी, इटावा।
(6) महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(8) वित्त अधिकारी उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा ।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।